

३३६

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)



R 550 II 16

प्र० ३०।→

- 1— संतोष कुमार गुप्ता पिता काशी प्रसाद गुप्ता, निवासी सा० बुसौल, तह० सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)
- 2— विश्वनाथ गुप्ता पिता श्री रामलाल गुप्ता, निवासी सा० बुसौल, तह० सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

आवेदकगण

बनाम्
प्रमोद कुमार गर्ग पिता रामप्रसन्न गर्ग, निवासी सा० बुसौल, तह० सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0)

अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार तह०
सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0, प्र०क्ष0
103-70/11-12 आदेश दिनांक 08.11.2016
में पारित।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भ०-राजस्व
संहिता 1959 ई०

मान्यवर

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर

प्रस्तुत है :-

- 1— अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.11.2016 सर्वथा विधि विद्यान के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।
- 2— अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 के उपबंधों के अधीन कोई दावा पेश नहीं किया गया था बल्कि धारा 32 म0प्र0 भ०-राजस्व संहिता के अधीन आवेदन पेश किया गया, और बाद में संशोधन

प्रमोद गुप्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

(11)

क्रमांक R5550-II /16

जिला—रीवा

संतोष कुमार गुप्ता/ प्रमोद कुमार गग्नी

(1)	(2)	(3)
०५/११७	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मृत्युन्जय प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 10/अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>महेश्वरनन्द यौधरी, सदस्य</p>	